CNR No.-UPVR010050282026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, वाराणसी

अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र सं0–1654/2026

अमित कुमार जायसवाल पुत्र विनोद कुमार जायसवाल निवासी म० न० सी. 8/97 चेतगंज, जिला वाराणसी। .....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उ 0 प्र 0 राज्य। .....अभियोजन पक्ष।

मुकदमा अपराध सं0–114/2023

धारा– 498A, 323, 504, 506 भा०दं०सं०

व 3/4 डी.पी. एक्ट

थाना–चेतगंज, जनपद–वाराणसी

<u>08–06–2026</u>

प्रार्थी/अभियुक्त **अमित कुमार जायसवाल** की तरफ से उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो शपथ पत्र से समर्थित है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा नेहा जायसवाल का विवाह दिनाक 13.02.2019 अमित कुमार जायसवाल से सम्पन्न हुआ। प्रार्थिनी की छेकईया दिनाक 24.08.2018 को होना था। उसके ससुर विनोद जायसवाल ने उसके पिता से कहा कि छेकईया तभी होगी जब उन्हे मु० 7,00,000/–रूपये मिल जायेंगे। दिनांक 20.08.2018 को उसके पिता भैयालाल जायसवाल और उसके दोनो मामा दिलीप जायसवाल व प्रदीप जायसवाल और दो–तीन अन्य रिश्तेदार विनोद कुमार जायसवाल के घर जाकर एक चेक सं–000012 मु० 3,00,000/–रूपये दिनांकित 20.08.2018 को स्वयं का चेक दिया तथा दूसरा चेक सं–000008 मु0 2,50,000/–रूपये दिनांकित 20.08.2018 को दूसरा चेक अपनी पत्नी किरन जायसवाल का दिया। विनोद कुमार जायसवाल ने दोनो चेक प्राप्त होने के उपरान्त पुनः कहा कि शेष पैसा छेकईया के दिन मिलते पर ही रस्म की अदायगी होगी। वादिनी के पिता भैयालाल ने छेकईया के दिन मु0 1,00,000/–रूपये नगद तथा मु0 51,000/– रूपये थाल में सजाकर दिया तब जाकर छेकईया की रस्म अदा हुई। वादिनी शादी के उपरान्त ससुराल गयी। उसके ससुराल पहुंचने पर एक सप्ताह बाद उसकी सास किशोरी जायसवाल, ननद सोनम जायसवाल व देवर अभिषेक जायसवाल कम दहेज मिलने का व शादी में मिले घटिया सामानों का ताना प्रार्थिनी को देने लगे। उसने कहा कि आप लोगो ने जो–जो मांग किया वह सामान मेरे पिता ने आप लोगो को दिया और शादी में लगभग 20,00,000/– रूपये खर्च किये। तब विनोद जायसवाल ने कहा कि शादी में कार नहीं मिली। प्रार्थिनी ससुराल में चार माह तक रही। वादिनी को ससुराल में रहे एक माह के दौरान एहसास हुआ कि उसका पति शराब का सेवन भी करता है और ससुराल वाराणसी में रहने के दौरान अमित कुमार जायसवाल ने प्रार्थिनी के साथ अप्राकृतिक सम्बन्ध बनाने का प्रयास किया, प्रार्थिनी के विरोध करने पर उसे बुरी तरह से मारा पीटा। उसके ससुराल

वाले उससे कहे कि अपने मायके वालों से 10,00,000/–रूपये व कार मांगकर ले आये नहीं तो वह सुख चैन से न तो ससुराल में रह पायेगी और न ही पति के साथ रह पायेगी। अमित कुमार जायसवाल की नौकरी दिनाक 28.04.2019 को बग्लौर में लग गयी तथा 12 जून सन् 2019 को वह अपने पति के साथ बग्लौर गयी। प्रार्थिनी व अमित कुमार जायसवाल बग्लौर में रहने के दौरान भी सास, ससुर, देवर, ननद व पति अमित कुमार जायसवाल को उसके प्रति उकसाकर पिटवाते और पत्नी सुख से भी वंचित रखने को कहते थे। इसी बीच वह गर्भवती हो गयी। वर्ष 2020 में सम्पूर्ण भारत वर्ष में कोविड– 19 महामारी आरम्भ हो गया जिसके कारण अमित कुमार जायसवाल की नौकरी चली गयी। तब ससुराल वालो ने अमित कुमार जायसवाल से कहा कि वादिनी का गर्भपात करा दो। वादिनी ने इसका विरोध किया तब उसकी ननद व सास ने कहा कि अगर बच्चा पैदा करना है तो अपने पिता से हर माह फ्लैट का किराया व घर का सारा खच मागती रहे। उसने ऐसा करने से मना किया तो उसके पति अमित कुमार जायसवाल ने गर्भावस्था के दौरान उसको बुरी तरीके से मारा–पीटा और गर्म पानी से जलाया। उसने ससुराल वालों की प्रताडना के बारे में अपने माता–पिता को बताया। उसके पिता हर माह मु0 20,000/– रूपये से लेकर मु0 40,000/– रूपये तक प्रतिमाह व खाने–पीने का सामान कोरियर से सवा साल तक लगातार भेजते रहे। वादिनी व उनके पति 2019 से 2023 तक बंग्लोर में रहे। इसी बीच उसने ऑपरेशन से एक सुन्दर बच्ची को जन्म दिया, लड़की पैदा होने की सूचना मिलने पर प्रार्थिनी के ससुराल वाले और भी नाराज हो गये। नौकरी छूट जाने व लड़की पैदा हो जाने पर अमित कुमार जायसवाल प्रार्थिनी के प्रति ज्यादा उग्र हो गया वह अपने घरवालो के उकसाने पर प्रार्थिनी को बुरी तरीके से मारता–पीटता था। प्रार्थिनी जब ससुराल में चार माह रही और बंगलौर से वाराणसी आयी तो उसका ममेरा देवर अनिकेत जायसवाल उसके कमरे में आकर उसके साथ छेड़छाड़ करते हुए नाजुक अंगो को भी छूता था। उसके विरोध करने पर उसकी सांस, ननद व देवर उसे व उसके माता–पिता को गन्दी गन्दी गालियां देते थे। उसके पति अमित कुमार जायसवाल बग्लौर में शराब का सेवन घर में ही करने लगा तथा बच्ची को पटक देने की धमकी देकर उसको जबरदस्ती शराब पीलाकर प्रार्थिनी के साथ अप्राकृतिक सम्बन्ध कई बार बनाया जिससे प्रार्थिनी को असहनीय पीड़ा होती थी। वादिनी अपने माता–पिता से दूर होने तथा बच्ची का मुंह देखकर पति अमित कुमार जायसवाल की हर प्रताडना सहती रही। अमित कुमार जायसवाल ने प्रार्थिनी को धमकी दिया कि छेड़छाड़, अप्राकृतिक सम्बन्ध व शराब पीने की बात मायके व ससुराल में किसी को बतायी तो उसे तेजाब फेंक कर जला देगा, प्रार्थिनी ने डरकर किसी को नहीं बताया। प्रार्थिनी वर्ष 2020 में पुनः गर्भवती हुई तथा दिनांक 15.12.2020 को उसकी इच्छा के विरूद्ध मारपीटकर उसके ससुराल वालों ने उसका गर्भपात करा दिया, दूसरा बच्चा तभी होगा तब तुम्हारे पिता मु 10,00,000/– रूपये व कार दे देंगे। अमित कुमार जायसवाल ने दिनांक 26.05.2023 को वादिनी को मारपीटकर मायके पहुंचा दिया, वादिनी ने स्वयं प्रार्थना पत्र लिखकर प्रशासनिक अफसरों को दिया जिस पर वादिनी और अमित जायसवाल को कचहरी में बुलाया गया। दिनांक 08.11.2023 को प्रार्थिनी अपने पिता के साथ कचहरी आयी थी, अमित कुमार जायसवाल अपने माता–पिता, बहन व भाई के साथ आया मिडिएशन के बाद बाहर निकलने पर वाद विवाद हुआ। वादिनी अपने पिता के साथ घर पहुंच रही थी कि घर के पहले उसे रोक लिया गया और कहा गया कि कुछ सादे पेपर व स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर कर दे और बच्ची को उन लोगो को दे दे, उसने ऐसा करने से इंकार किया तो उसे बुरी तहर से मारा पीटा गया। उसके हल्ला गुल्ला करने पर मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गये तब सभी लोग धमकी देकर चले गये।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र में यह आधार लिया गया है कि यह उसका प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी जमानत प्रार्थनापत्र किसी भी न्यायालय से न तो निस्तारित हुआ है और न ही विचाराधीन है। प्रार्थी/अभियुक्त का विवाह बिना किसी दहेज के जाति मान्यताओं के आधार पर रिस्तेदारों व परिवार वालों के मौजूदगी में सम्पन्न हुआ है। वादिनी मुकदमा विवाह के पूर्व से ही स्वच्छंद विचारधाराओं वाली आधुनिक महिला रही है और वह प्रार्थी के साथ उसके संयुक्त परिवार में नहीं रहना चाहती है जिस कारण से वो आये दिन छोटी–छोटी बातों पर उसके माता पिता से वाद विवाद करके अपने

भाई व पिता को बुलाकर अपने मायके चली आती थी और ज्यादातर समय मायके में ही निवास करती रही है। प्रार्थी द्वारा इस सम्बन्ध में पूछने पर वादिनी हमेशा कहती रही है कि उसकी शादी उसकी मर्जी के विरूद्ध उसके माता पिता ने यह जानकर कराया है कि प्रार्थी/अभियुक्त एक सम्पन्न परिवार का पढ़ा लिखा व्यक्ति है और वह वादिनी को हमेशा खुश रखेगा, जबकि वादिनी मुकदमा कभी भी प्रार्थी के साथ उसके संयुक्त परिवार में नहीं रहना चाहती थी। वादिनी द्वारा प्राथमिकी काफी विलम्ब से पंजीकृत करायी गयी है। प्रार्थी/अभियुक्तगण का कोई आपाधिक इतिहास नहीं है। वे निर्दोष है। अतः उन्हें अग्रिम जमानत प्रदान की जाये।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र का प्रबल विरोध करते हुए प्रार्थी/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

उभय पक्षों के तर्कों के परिपेक्ष्य में अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से दर्शित होता है कि प्रार्थी/अभियुक्तपर अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादिनी मुकदमा से दहेज की मांग करने, उसके साथ मारपीट करने, गाली गलौच करने तथा जान से मारने की धमकी दिये जाने का अभियोग है। वादिनी के चिकित्सीय परीक्षण में No External Injury आना अंकित है। अभियुक्त का तर्क है कि वादिनी मुकदमा स्वच्छंद विचारधाराओं वाली आधुनिक महिला है और वह प्रार्थी के साथ उसके संयुक्त परिवार में नहीं रहना चाहती है जिस कारण से वो आये दिन छोटी–छोटी बातों पर उसके माता पिता से वाद विवाद करके अपने भाई व पिता को बुलाकर अपने मायके चली जाती थी। अभियोजन की तरफ से अभियुक्त का कोइ आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। मामले में आरोप–पत्र आ चुका है। आरोपित धारा में सात वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। प्रार्थी/अभियुक्त की दोषिता अथवा निर्दोषिता विचारण उपरांत हीं देखी जा सकती है।

अतः मामले के समस्त तथ्यो एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, गुणदोष पर कोई टिप्पणी किये बिना अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **अमित कुमार जायसवाल** की ओर से उपरोक्त मामले में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र दौरान विचारण स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त दस दिन के अंदर सम्बन्धित न्यायालय में उपस्थित होगा तथा सम्बन्धित न्यायालय में अभियुक्त द्वारा मु0 पचास हजार रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान राशि का दो प्रतिभू दाखिल करने पर अभियुक्त को निम्न शर्तों के आधार पर अग्रिम जमानत प्रदान किया जायेः–

1. अभियुक्त इस प्रकृति का अपराध पुनः कारित नहीं करेगा।

2. अभियुक्त अभियोजन साक्षियों को प्रभावित नहीं करेगा ।

3. दौरान विचारण अभियुक्त न्यायालय में प्रत्येक तिथि पर उपस्थित होगा और साक्षी के उपस्थित होने पर अनावश्यक रूप से स्थगन प्रस्तुत नहीं करेगा।

दिनांक: 08–06–2026

(संध्या श्रीवास्तव)
प्रभारी सत्र न्यायाधीश,
वाराणसी
JO Code-UP 6203

Steno-Km Kshama